

सं0 सं0—एस0आई0पी0बी0 201700095.....
सेवा में,

दिनांक—

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय— मेसर्स विशाल फूड्स एण्ड स्नैक्स कंपनी, मुजफ्फरपुर द्वारा हरिशंकर मनीयारी, खुदानी, मुजफ्फरपुर में 2880 में 0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्नैक्स एण्ड नमकीन की ईकाई स्थापना हेतु स्टाम्प डियुटी एवं निबंधन शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कुल रु0 32,650/- (मात्र बत्तीस हजार छ: सौ पचास रुपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:

महाशय,

स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स विशाल फूड्स एण्ड स्नैक्स कंपनी, मुजफ्फरपुर द्वारा हरिशंकर मनीयारी, खुदानी, मुजफ्फरपुर में 2880 में 0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्नैक्स एण्ड नमकीन की ईकाई स्थापना हेतु स्टाम्प डियुटी एवं निबंधन शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कुल रु0 32,650/- (मात्र बत्तीस हजार छ: सौ पचास रुपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक SIPB201700095/939, दिनांक 20.03.2018 के द्वारा श्री आर० के0 ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 26.09.2017 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मेसर्स विशाल फूड्स एण्ड स्नैक्स कंपनी, मुजफ्फरपुर द्वारा हरिशंकर मनीयारी, खुदानी, मुजफ्फरपुर में 2880 में 0 टन प्रतिवर्ष क्षमता का स्नैक्स एण्ड नमकीन की ईकाई स्थापना हेतु स्टाम्प डियुटी एवं निबंधन शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कुल रु0 32,650/- (मात्र बत्तीस हजार छ: सौ पचास रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री / लीज / हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उदघोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश सं0-3020, दिनांक-01.08.19 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80—सामान्य, लघु शीर्ष 102—औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33. 01 सख्तिमान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मेसर्स विशाल फूड्स एण्ड स्नैक्स कपंनी को उनके आई०डी०बी०आई, सरैरयागंज, मुजफ्फरपुर शाखा के खाता संख्या-0294651100004121, IFS Code-IBKL0000294 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।
9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक—

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700095.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक—

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700095.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,

बिहार, पटना।

दिनांक— 19-08-19

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700095...3161

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स विशाल फूड्स एण्ड स्नैक्स कपंनी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
—सह—

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।